सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002,

क्रमांक 312 / जी 62 / 2014 / आरटीआई / 1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 11 फरवरी, 2014,

प्रति,

**अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,**
**छत्तीसगढ शासन,**
**समस्त विभाग,**
**मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर,**
**(छत्तीसगढ़)**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(8) (क) के तहत् अभिलेखों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत् ।

——00——

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि सूचना आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि कतिपय विभागों में अभिलेख उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य कारणों से जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध कराई जाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 (8)(क) में, लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा की गई है, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपबंध शामिल हैं :–

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है,
(ii) यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना,
(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना,
(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना,
(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना,
(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वर्षीय रिपोर्ट उपलब्ध कराना,

क्रमांक 1664
20 FEB 2014
हस्ताक्षर........

2/ अतः अनुरोध है कि कार्यालय में अभिलेखों का रख रखाव समुचित रूप से किया जाए, ताकि आवेदकों को जानकारी/सूचना प्रदाय करने में जनसूचना अधिकारी को किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

11/2/2014
(कमर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ.क्रमांक 313/जी.62/2014/आरटीआई/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 11/2/2014,

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र कमांक 17088/छगरासूआ/वा–1/अपील प्र.क.ए/1381/13, दिनांक 24.12.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

11/2/2014
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग